

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2015/1800

दिनांक: 22-04-2015

अति आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों को सत्र 2015-16 की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निरीक्षण अतिशीघ्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों के निरीक्षण, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर ही सम्पन्न होंगे, जिसका विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट के मुख्य पेज पर उपलब्ध लिंक “ Affiliated Colleges” के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा। सभी महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक दिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट को चेक करते रहें। महाविद्यालयों को वेबसाइट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से सूचना प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा एवं निरीक्षण न हो पाने की स्थिति में महाविद्यालय को सम्बद्धता न मिलने के लिए महाविद्यालय जिम्मेवार होंगे। निरीक्षण संबंधी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु महाविद्यालयों द्वारा 0751-2442828 एवं 8109345070 पर संपर्क किया जा सकता है।

महाविद्यालय, निरीक्षण हेतु निम्नानुसार क्रमवार फ़ाइल लगाकर इन्डैक्स फ़ाइल तैयार कर निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समस्त प्रपत्र प्राचार्य द्वारा सत्यापित होने चाहिए -


1. निरीक्षण हेतु महाविद्यालय द्वारा भरे जाने वाला नया प्रोफार्मा (संलग्न)
2. समिति का पंजीयन सर्टिफिकेट एवं वर्तमान सदस्यों की सूची
3. शासन द्वारा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र
4. महाविद्यालय में 28(17) के अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक स्टाफ की सूची, नियुक्ति पत्र, चयन समिति के कार्यविवरण एवं उनको दिये जाने वाले वेतन से संबंधित कागजात
5. जमीन के दस्तावेज

6. भवन के अनुमोदित नक्शे की प्रति
7. शासी निकाय की बैठकों का विवरण
8. कॉलेज कॉउंसिल की बैठकों का विवरण
9. लाइब्रेरी एवं प्रयोगशालाओं के स्टॉक रजिस्टर की फोटो प्रति
10. पिछले सत्र की संबद्धता की अधिसूचना
11. पिछले सत्र की निरीक्षण में लगाई गई शर्तों की शर्त पूर्ती के दस्तावेज
12. बी.एड. महाविद्यालयों के संबंध में एन.सी.टी.ई. में जमा किए गए प्रपोजल की छायाप्रति
13. महाविद्यालय भवन में लगाये गये सी.सी.टी.व्ही. कैमरों का विवरण
14. जनरेटरी की उपलब्धता के दस्तावेज
15. इंटरनेट की उपलब्धता के संबंध में दस्तावेज

उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय निरीक्षण दल के सदस्यों के समक्ष भवन, स्टाफ, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की फोटो खिचवाने हेतु केमरे की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से करेंगे। खींचे गए फोटोग्राफ्स निरीक्षण दिनांक को ही निरीक्षण समिति को उपलब्ध कराया जावे। महाविद्यालय, निरीक्षण दिनांक को एक वाहन प्रातः 7:00 बजे गालव सभागार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में उपलब्ध करायेंगे जिसके लिए महाविद्यालय ऊपर दिए गए दूरभाष क्रमांक पर सम्पर्क करेंगे।

महाविद्यालय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उपरोक्तानुसार पत्रावली निरीक्षण दल के सदस्यों को महाविद्यालय में पहुंचते ही उपलब्ध करा दी जावेगी क्योंकि निरीक्षण समिति को निरीक्षण दिनांक को ही प्रतिवेदन डी.सी.डी.सी. कार्यालय में जमा कराने के निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए हैं।

पत्रावली उपलब्ध न करा पाने की दशा में निरीक्षण समिति बिना पत्रावली के ही प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा करायेगी और इस संबंध में किसी भी अन्यथा स्थिति के लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।



कुलसचिव

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

निरीक्षण प्रतिवेदन

201.....201.....

1. महाविद्यालय का नामस्थापना वर्ष.....
2. पता एवं दूरभाष क्रमांक
3. समिति का नाम पंजीयन क्रमांक सहित
4. प्राचार्य का नाम/पता/दूरभाष क्रमांक.....
(परिनियम 28(17)के अनुसार नियुक्ति की गई यदि नहीं तो किस कारण)
5. (अ) महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	अध्ययनरत छात्रसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अध्ययनरत छात्रसंख्या
(1)		(2)	
(3)		(4)	
(5)		(6)	
(7)		(8)	
(9)		(10)	
- (ब) प्रस्तावित पाठ्यक्रम जो संचालित किये जाने हैं

(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)
6. क्या राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है.....
(यदि हों तो राज्य शासन अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक एवं दिनांक)
7. क्या अन्य संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है.....
(यदि हों तो प्राप्त हुआ अथवा नहीं प्रमाण पत्र क्रमांक/ दिनांक)
8. पदों के विज्ञापन एवं स्टॉफ नियुक्ति :-
(निर्धारित प्रपत्र पर प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ का बायोडाटा फोटो सहित)
.....
.....
.....
.....

9. क्या परिनियम 28(17)के अन्तर्गत प्राचार्य/शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की गई है। यदि हाँ तो (निर्धारित प्रपत्र पर प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ का बायोडेटा फोटो सहित)
- | | |
|-----------|------------|
| (1) | (2) |
| (3) | (4) |
| (5) | (6) |
| (7) | (8) |
| (9) | (10) |
10. महाविद्यालय द्वारा क्रय की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण :-
भूमि (साईज) शीर्षक (नाम/पंजीयन दिनांक)
11. महाविद्यालय भवन की स्थिति (स्वयं का अथवा किराये का)
क्या महाविद्यालय का उपलब्ध भवन पर्याप्त है (कृपया अध्ययनकक्ष/प्रयोगशाला/पुस्तकालय/खेल मैदान एवं अन्य सुविधाओं का समुचित विवरण)
.....
.....
.....
12. अन्य उपलब्ध सुविधायें (कृपया पुस्तकों, क्रीड़ा सामग्री, उपकरण, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर इत्यादि का विस्तृत विवरण)
.....
.....
.....
13. जमा किया गया सम्बद्धता शुल्क (परिनियम 27 के अनुसार) यदि हाँ तो रसीद क्रमांक, दिनांक
.....
जमा किया गया एंडोमेंट फंड
राशि एफ.डी.आर. नं. दिनांक बैंक का नाम
14. शासी निकाय की बैठकों का विवरण (बैठकों की संख्या एवं दिनांक)
15. कॉलेज कौन्सिल की बैठकों का विवरण (बैठकों की संख्या एवं दिनांक)
16. महाविद्यालय में उपलब्ध सी.सी.टी.वी. कैमरों का विवरण हाँ / नहीं
यदि हाँ तो विवरण
17. महाविद्यालय में जनरेटर की उपलब्धता हाँ / नहीं
18. महाविद्यालय में इंटरनेट की उपलब्धता हाँ / नहीं

19. विगत निरीक्षण का विवरण (निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम, प्रतिबन्ध, उक्त शर्तों को महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा पूर्ण करने का विवरण) :-
(अ) निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम

.....

.....

.....

.....

.....

(ब) लगाई गयी शर्तें

.....

.....

.....

.....

.....

(स) महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण (प्रमाण संलग्न करें) :-

.....

.....

.....

.....

.....

20. प्राचार्य की टिप्पणी :-

.....

.....

.....

.....

.....

प्राचार्य के हस्ताक्षर
एवं सील

निरीक्षण समिति की अनुशंसा

संस्था / महाविद्यालय का नाम

स्थापना वर्ष

पाठ्यक्रम का नाम

- | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------|
| 1. सम्बन्धित संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र | है | नहीं है | यदि है तो |
| (अ) उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन | है | नहीं है | |
| (ब) एन.सी.टी.ई 14(3) | है | नहीं है | |
| (स) नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया | है | नहीं है | |
| (द) डी.टी.ई | है | नहीं है | |
| (इ) ए.आई.सी.टी.ई. | है | नहीं है | |
| (फ) अन्य | | | |
| (1) स्कूल शिक्षा विभाग | है | नहीं है | |
| (2) चिकित्सा शिक्षा विभाग | है | नहीं है | |
| (3) होम्योपैथिक काउन्सिल | है | नहीं है | |
| (4) आयुर्वेदिक काउन्सिल | है | नहीं है | |
| (5) महाकौशल स्टेट नर्सिंग काउंसिल | है | नहीं है | |
| (6) पैरा मेडीकल काउन्सिल | है | नहीं है | |
| 2. महाविद्यालय की स्वयं की भूमि | है | नहीं है | मूलपत्र से सत्यापित |
| (अ) माप | | | |
| 3. महाविद्यालय का स्वयं का भवन | है | किराये का है | |
| (अ) फर्नीचर | पर्याप्त | अपर्याप्त | |
| 4. प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियां (विवरण) की गई हैं | नहीं की गई हैं | | |
| (अ) प्रबंध समिति द्वारा | | | |
| (ब) परिनियम 28(17) के अन्तर्गत | | | |
| (स) जन भागीदारी द्वारा व राज्य | | | |
| 5. खेलकूद मैदान | हैं | नहीं हैं | |
| स्पोर्ट्स ऑफीसर की नियुक्ति (विवरण लें) की गई हैं | | नहीं की गई हैं | |
| (अ) प्रबंध समिति द्वारा | | | |
| (ब) परिनियम 28(17) के अन्तर्गत | | | |

6. प्रयोगशाला हेतु उपकरण एवं प्रयोगशाला का निर्माण तथा टेक्नीकल स्टॉफ की नियुक्तियाँ
- | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| (अ) उपकरण | पर्याप्त | अपर्याप्त |
| (ब) प्रयोगशाला (विवरण लें) | पर्याप्त | अपर्याप्त |
| (स) टेक्नीकल स्टॉफ की नियुक्तियाँ | | |
| (1) प्रबन्ध समिति द्वारा | | |
| (2) परिनियम 28(17) के अन्तर्गत | | |
7. पुस्तकालय हेतु वांछित पुस्तकें (विवरण लें)
पुस्तकालयाध्यक्ष एवं स्टाफ की नियुक्ति
- | | | |
|--|----------|--------------|
| (अ) पुस्तकें | पर्याप्त | अपर्याप्त |
| (ब) पुस्तकालयाध्यक्ष एवं स्टाफ की नियुक्ति | हुई है | नहीं हुयी है |
| (1) प्रबन्ध समिति द्वारा | | |
| (2) परिनियम 28(17) के अन्तर्गत | | |
8. कॉलेज कौन्सिल की बैठकों का विवरण (बैठकों की संख्या एवं दिनांक)
9. महाविद्यालय में उपलब्ध सी.सी.टी.वी. कैमरों का विवरण हों / नहीं
यदि हों तो विवरण
10. महाविद्यालय में जनरेटर की उपलब्धता हों / नहीं
11. महाविद्यालय में इंटरनेट की उपलब्धता हों / नहीं
12. शासी निकाय/प्रबन्ध समिति की बैठकों के हैं नहीं
कार्यविवरण (विवरण) दें
13. ऑडिट स्टेटमेंट है नहीं है
14. परिनियम 27, 28 का पालन किया गया नहीं किया गया
15. सम्बद्धता हेतु समिति अनुशंसा करती है अथवा नहीं अनुशंसा की जाती है नहीं की जाती है

टिप्पणी :-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....